हरियाणा सरकार पर

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

के प्रतिवेदनों का सार

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा, चण्डीगढ़

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की सम्पूर्ण पाठ्य सामग्री हेतु कृपया हमारी वेबसाईट www.cag.gov.in देखें।

हरियाणा सरकार पर

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

के प्रतिवेदनों का सार

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा, चण्डीगढ़

विषय वस्तु

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
	प्रस्तावना	iii
	2016 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 4 राज्य के वित्त	
1.	विशिष्टताएं	1
2.	राज्य सरकार के वित्त	6
3.	वित्तीय प्रबन्धन और बजट नियंत्रण	7
4.	वित्तीय रिपोर्टिंग	7
	2017 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 1 सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)	
5.	विशिष्टताएं	8
6.	निष्पादन लेखापरीक्षाएं	
	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्यचालन	10
	पंडित भगवत दयाल शर्मा स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रोहतक का कार्यचालन	11
	बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009	11
7.	अनुपालन लेखापरीक्षा	12
	2016 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 5 राजस्व सेक्टर	
8.	विशिष्टताएं	16
9.	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	17
10.	प्रणाली मूल्यांकन निष्पादन	
	राज्य उत्पाद शुल्क से प्राप्तियां	18
11.	अनुच्छेदों के रूप में शामिल महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा उपलब्धियां	18
	बिक्री कर/वैट (आबकारी एवं कराधान विभाग)	18
	स्टाम्प शुल्क (राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग)	19
	वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर (आबकारी एवं कराधान विभाग)	19
	2016 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 6 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र)	
12.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बारे में	20
13.	सरकारी कंपनियों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा	20
	राजस्व की टैरिफ, बिलिंग और संग्रहण	20
14.	लेन-देनों की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	21

प्रस्तावना

यह पुस्तिका, सरसरी दृष्टि में हरियाणा सरकार से संबंधित 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों (राज्य के वित्त, सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों), राजस्व सेक्टर तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों) की विषय-वस्तु को प्रस्तुत करती है। इन प्रतिवेदनों में हरियाणा सरकार, सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निगमों के वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा के मुख्य परिणाम शामिल हैं।

संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, राज्य सरकार के वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए बिंदुओं एवं लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्यपाल को अग्रेषित करते हैं जो उन्हें विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करवाते हैं।

राज्य सरकार के लेन-देनों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के विधान सभा को प्रस्तुत किए गए राज्य के वित्त, राजस्व सैक्टर, सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों) संबंधी प्रतिवेदन लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) को तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों) के संबंध में लोक उपक्रम समिति (कोपु) को संदर्भित किए जाते हैं। सरकारी विभागों द्वारा समिति को सभी लेखापरीक्षा अनुच्छेदों एवं संपादन लेखापरीक्षाओं पर लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत् जांच की गई स्वत: कृत कार्रवाई टिप्पणियां प्रस्तुत करनी होती हैं। समितियां इन अनुच्छेदों/संपादन लेखापरीक्षाओं में से कुछ का चयन विस्तृत परीक्षण हेतु करती हैं जिसके पश्चात् अपनी अभ्युक्तियों तथा अनुशंसाओं से समायुक्त रिपोर्ट विधान सभा को प्रस्तुत करती है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में संमिलित अनुच्छेदों/संपादन लेखापरीक्षाओं के प्रारूप सदैव संबंधित विभाग के सचिव को उसकी टिप्पणी के लिए अग्रेषित किए जाते हैं ताकि विधानसभा में प्रस्तुतिकरण से पहले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सरकार के विचार शामिल किए जा सकें। वित्त विभाग ने निर्धारित किया है कि प्रारूप अनुच्छेदों का निपटान यथाशीघ्र किया जाना चाहिए तथा संबंधित विभाग की टिप्पणियां छ: सप्ताह की अवधि के भीतर लेखापरीक्षा को सूचित की जानी चाहिए। तथापि, अत्यधिक प्रकरणों में प्रारूप अनुच्छेदों पर निर्धारित समय में टिप्पणियों को प्रेषित करने संबंधी प्रावधानों की अनुपालना विभागों ने नहीं की थी।

इस पुस्तिका में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों का केवल संक्षिप्त वृतान्त शामिल है। इस दस्तावेज़ की विषय-वस्तु को मूल प्रतिवेदनों के यथा संभव समरूप रखने का हमारा प्रयास रहा है विस्तृत तथ्यों एवं आंकड़ों के लिए मूल प्रतिवेदनों को संदर्भित किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के संबंध में किसी स्पष्टीकरण के लिए जिन अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है उनके नाम एवं दूरभाष नंबर इस प्रकाशन के अंतिम आवरण पृष्ठ के अंदर वाले पृष्ठ पर दिए गए हैं।

2016 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 4 राज्य के वित्त

इस प्रतिवेदन में वर्ष 2015-16 हेतु राज्य सरकार के वित्तों, वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण एवं हरियाणा सरकार की वित्तीय रिपोर्टिंग पर अभ्युक्तियों से समायुक्त तीन अध्याय शामिल हैं।

विशिष्टताएं

- 2015-16 के दौरान ₹ 47,556.55 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष से ₹ 6,757.89 करोड़ (16.56 प्रतिशत) तक बढ़ गई। ₹ 30,929.09 करोड़ का राज्य का अपना कर-राजस्व मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (म.अ.रा.नी.वि.) में किए गए प्रक्षेपण (₹ 33,249 करोड़) तथा चौदहवें वित्त आयोग (चौ.वि.आ.) द्वारा नियत लक्ष्य (₹ 38,049 करोड़) से क्रमश: 6.98 प्रतिशत तथा 18.71 प्रतिशत तक कम पड़ गया। वर्ष 2015-16 के लिए कर-भिन्न राजस्व (₹ 4,752 करोड़) चौ.वि.आ. द्वारा नियत लक्ष्य (₹ 4,111 करोड़) से 15.60 प्रतिशत तक बढ़ गया तथा म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपण (₹ 6,885 करोड़) से 30.98 प्रतिशत तक कम पड़ गया। हरियाणा ग्रामीण विकास निधि के अंतर्गत एकत्रित ₹ 2,010.48 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां 2011-15 के दौरान राज्य की समेकित निधि में जमा नहीं की गई थी।
- राजस्व व्यय 2014-15 में ₹ 49,118 करोड़ से 21 प्रतिशत तक बढ़कर 2015-16 में ₹ 59,236 करोड़ हो गया तथा चौ.वि.आ. के मानकीय निर्धारण (₹ 44,514 करोड़) से अधिक था किंतु म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपणों (₹ 61,869.62 करोड़) से कम था। नान-प्लान घटक (₹ 40,675 करोड़) राजस्व व्यय का 69 प्रतिशत था जो म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपण (₹ 43,208.62 करोड़) से कम था। प्रतिबद्ध व्यय के चार घटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरी, ब्याज, पैंशन तथा सबसिडियों ने गैर-योजनागत राजस्व व्यय का 82 प्रतिशत संघटित किया।
- वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान (₹ 8,284 करोड़), 2014-15 से 19.57 प्रतिशत तक बढ़ गया तथा चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा (₹ 7,582 करोड़) से उच्चत्तर था परंतु म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपणों (₹ 8,564 करोड़) के भीतर था।
- दो विभागों के 18 प्रोजेक्टस, जो मई 2014 तथा मार्च 2016 के मध्य पूर्ण किए जाने निर्धारित थे, अभी भी अधूरे थे (जून 2016)। अधूरे प्रोजेक्टस के टाइम ओवररन कम किए जाने की जरूरत है।
- सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों तथा सहकारिताओं में सरकार के निवेशों पर औसत रिटर्न गत पांच वर्षों में 0.02 से 0.17 प्रतिशत के मध्य भिन्न-भिन्न था जबकि सरकार ने अपनी उधारों पर 8.64 से 9.86 प्रतिशत का औसत ब्याज भुगतान किया। 2015-16 के दौरान ₹ 1,902.21 करोड़ के कुल निवेशों में से ₹ 1,794.54 करोड़ विद्युत कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश किए गए थे।
- राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 31 मार्च 2016 को ₹ 1,20,718 करोड़ थी। इसमें से आंतरिक ऋण ₹ 99,660 करोड़ था। राजकोषीय देयताएं, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 24.50 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों का 2.54 गुणा थी।

- राजस्व घाटा, जो 2011-12 के दौरान शून्य तक नीचे लाया जाना तथा 2014-15 तक शून्य बनाए रखना अपेक्षित था, 2014-15 में ₹ 8,319 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 11,679 करोड़ हो गया। अन्य वित्तीय मानकों में प्रवृत्तियां अर्थात् राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटा जो 2014-15 में क्रमश: ₹ 12,586 करोड़ तथा ₹ 5,658 करोड़ था, 2015-16 में बढ़कर क्रमश: ₹ 31,479 करोड़ तथा ₹ 23,195 करोड़ हो गया।
- 2015-16 के दौरान, ₹ 1,11,559.26 करोड़ के कुल अनुदानों तथा विनियोजनों के विरूद्ध ₹ 95,480.50 करोड़ का व्यय किया गया था। ₹ 16,078.76 करोड़ की समग्र बचतें, विभिन्न अनुदानों में ₹ 17,493 करोड़ की बचत तथा चार अनुदानों में ₹ 1,414.24 करोड़ के अधिक व्यय द्वारा आफसेट विनियोजन के कारण थी जिसे 2011-12 से 2014-15 की अवधि से संबंधित अनुदानों में ₹ 1,427.57 करोड़ के अधिक व्यय के अतिरिक्त भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत विनियमित किए जाने की आवश्यकता थी।
- 51 मामलों में, ₹ 17,091.93 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंत में वापस किए गए। 21 मामलों में, ₹ 8,521.13 करोड़ की बचतों के विरूद्ध ₹ 8,840.80 करोड़ वापस किए गए थे परिणामस्वरूप वास्तविक बचतों से अधिक सरेंडर (₹ 319.70 करोड़) हुआ। आगे, 20 मामलों में ₹ 7,199.13 करोड़ की बचतों में से ₹ 1,302.40 करोड़ की बचतें सरेंडर नहीं की गई। निधियों के अपर्याप्त प्रावधान तथा अनावश्यक अथवा अधिक पुनर्विनियोजन दोनों के उदाहरण थे।
- वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्यय के वेग को इंगित करते हुए 11 अनुदानों के अंतर्गत 14 मुख्य शीर्षों में ₹ 7,408.71 करोड़ (52 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2016 के माह के दौरान किया गया था जो सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 56 के प्रावधानों के विरूद्ध था।
- 2015-16 के दौरान ₹ 42,743 करोड़ की अनुमानित राशि के विरूद्ध प्लान व्यय केवल ₹ 25,185 करोड़ (58.52 प्रतिशत) था। ₹ 386.74 करोड़ के अनुमोदित प्लान परिव्यय वाली 32 स्कीमों में कोई व्यय नहीं किया गया था। 74 स्कीमों में ₹ 1,813.56 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय के विरूद्ध ₹ 1,030.52 करोड़ का व्यय किया गया।
- विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान किए गए ₹ 6,267.34 करोड़ के ऋणों तथा अनुदानों के संबंध में 1,313 उपयोगिता प्रमाण-पत्र 31 मार्च 2016 को बकाया थे। 83 स्वायत निकायों/प्राधिकरणों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, के 202 वार्षिक लेखे 31 जुलाई 2016 को बकाया थे। 29 स्वायत निकायों, जिनकी लेखापरीक्षा राज्य द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है, में से दो ने गत पांच वर्षों से अधिक समय से अपने वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किए थे।
- राज्य सरकार ने ₹ 1.33 करोड़ की राशि के सरकारी धन से आवेष्टित दुरूपयोग, जालसाजी इत्यादि के 105 मामले सूचित किए जिन पर जून 2016 तक अंतिम कार्यवाही की जानी लंबित थी। इनमें से 93 मामले पांच वर्षों से अधिक पुराने थे।
- 2015-16 के दौरान कुल व्यय का 22.34 प्रतिशत वित्त लेखाओं में अलग से वर्णित करने के बजाय बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था जो वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

वित्त लेखाओं का सार

वर्ष 2015-16 की प्राप्तियां एवं संवितरण

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां	2014-15	2015-16	संवितरण	2014-15	2015-16		
					गैर-योजनागत	योजनागत	कुल
भाग-क: राजस्व							
राजस्व प्राप्तियां	40,798.66	47,556.55	राजस्व व्यय	49,117.87	40,674.90	18,560.80	59,235.70
कर-राजस्व	27,634.57	30929.09	सामान्य सेवाएं	16,764.73	18,585.59	127.74	18,713.33
कर-भिन्न राजस्व	4,613.12	4752.48	सामाजिक सेवाएं	19,120.55	10,172.68	11,366.18	21,538.86
संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा	3,548.09	5496.22	आर्थिक सेवाएं	13,088.00	11,623.48	7,066.88	18,690.36
भारत सरकार से अनुदान	5,002.88	6378.76	सहायता अनुदान एवं अंशदान	144.59	293.15	-	293.15
भाग-ख: पूंजीगत तथा अन्य							
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	18.74	29.98	पूंजीगत परिव्यय	3,715.53	283.77	6,624.56	6,908.33
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	272.82	328.28	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	842.87	275.20	12,975.09	13,250.29
लोक ऋण प्राप्तियां	18,858.75	37,998.43	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	8,227.41	-	-	7,214.68
आकस्मिक निधि	--	63.22	आकस्मिक निधि	--	-	-	63.22
लोक लेखा प्राप्तियां	28,064.30	29,055.78	लोक लेखा संवितरण	25,609.25	-	-	28,649.81
आरंभिक नकद शेष	6,007.18	6,507.52	अंतिम नकद शेष	6,507.52	-	-	6,217.73
कुल	94,020.45	1,21,539.77	कुल	94,020.45			1,21,539.76

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

मूल/पूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षेपित स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
दत्तमत	I राजस्व	53,058.80	7,356.28	60,415.08	52,341.93	(-) 8,073.15
	II पूंजीगत	15,457.12	1,916.65	17,373.77	13,886.75	(-) 3,487.02
	III ऋण एवं अग्रिम	1,366.77	12,328.36	13,695.13	13,250.30	(-) 444.83
कुल दत्तमत		69,882.69	21,601.29	91,483.98	79,478.98	(-) 12,005.00
भारित	IV राजस्व	9,246.53	703.24	9,949.77	8,705.03	(-) 1,244.74
	V पूंजीगत	70.00	20.00	90.00	81.81	(-) 8.19
	VI लोक ऋण पुनर्भुगतान	10,035.51	-	10,035.51	7,214.68	(-) 2,820.83
कुल भारित		19,352.04	723.24	20,075.28	16,001.52	(-) 4,073.76
आकस्मिक निधि से विनियोजन		-	-	-	-	-
कुल योग		89,234.73	22,324.53	1,11,559.26	95,480.50	(-) 16,078.76

नोट: ऊपर दर्शाए गए व्यय, राजस्व शीर्षों (₹ 1,811.26 करोड़) और पूंजीगत शीर्षों (₹ 7,060.22 करोड़) के अंतर्गत व्यय की कटौती के रूप में लेखाओं में समायोजित वसूलियां परिगणना में लिए बिना, सकल आंकड़े हैं।

राज्य सरकार के वित्तों पर समय क्रम आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
भाग-क प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	**30,558**	**33,634**	**38,012**	**40,799**	**47,557**
(i) कर राजस्व	**20,399(67)**	**23,559(70)**	**25,567(67)**	**27,635(67)**	**30,929 (65)**
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	13,384(66)	15,377(65)	16,774(66)	18,993(69)	21,060 (68)
राज्य उत्पाद शुल्क	2,832(14)	3,236(14)	3,697(14)	3,470(13)	4,371 (14)
वाहनों पर कर	740(4)	887(4)	1,095(4)	1,192(4)	1,401 (5)
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	2,793(14)	3,326(14)	3,203(13)	3,109(11)	3,191 (10)
भू-राजस्व	11	13	12	15	15
माल एवं यात्रियों पर कर	429(2)	471(2)	498(2)	527(2)	554 (2)
बिजली पर कर एवं शुल्क	166	192(1)	219(1)	240(1)	257 (1)
अन्य कर	44	57	69	89	80
(ii) कर-भिन्न राजस्व	**4,722(15)**	**4,673(14)**	**4,975(13)**	**4,613(13)**	**4,753 (10)**
(iii) संघीय करों एवं शुल्को में राज्य का हिस्सा	**2,682(9)**	**3,062(9)**	**3,343(9)**	**3,548(9)**	**5,496 (12)**
(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	**2,755(9)**	**2,340(7)**	**4,127(11)**	**5,003(13)**	**6,379 (13)**
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	**9**	**11**	**10**	**19**	**30**
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	**294**	**349**	**262**	**273**	**328**
4. कुल राजस्व एवं ऋणमुक्त पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	**30,861**	**33,994**	**38,284**	**41,091**	**47,915**
5. लोक ऋण प्राप्तियां	**10,767**	**15,213**	**17,604**	**18,859**	**37,998**
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट रहित)	10,669(99)	15,162 (100)	17,263(98)	18,728(99)	37,901 (100)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	98(1)	51	341(2)	131(1)	97
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	**41,628**	**49,207**	**55,888**	**59,950**	**85,913**
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियां	**168**	**-**	**-**	**-**	**63**
8. लोक लेखे प्राप्तियां	**19,260**	**22,709**	**26,548**	**28,064**	**29,056**
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	**61,056**	**71,916**	**82,436**	**88,014**	**1,15,032**
भाग- ख व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	**32,015**	**38,072**	**41,887**	**49,118**	**59,236**
योजनागत	7,792(24)	9,456(25)	10,152(24)	12,760(26)	18,561 (31)
योजनेत्तर	24,223 (76)	28,616(75)	31,735(76)	36,358(74)	40,675 (69)
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतानों सहित)	10,220 (32)	11,897(31)	13,597(32)	16,765(34)	18,713 (32)
आर्थिक सेवाएं	9,054 (28)	11,557(30)	12,740(30)	13,088(27)	18,691 (32)
सामाजिक सेवाएं	12,641 (39)	14,516(38)	15,414(37)	19,120(39)	21,539 (36)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	99	102	136(1)	145	293
11. पूंजीगत व्यय	**5,372**	**5,762**	**3,935**	**3,716**	**6,908**
योजनागत	4,354 (81)	4,191(73)	5,067(129)	4,837(130)	6,624 (96)
योजनेत्तर	1,018 (19)	1,571(27)	(-)1,132 (-29)	(-) 1,121 (-30)	284 (4)
सामान्य सेवाएं	235 (5)	251(4)	282(7)	291(8)	460 (7)
आर्थिक सेवाएं	3,770 (70)	4,065(71)	1,829(46)	1,527(41)	4,908 (71)
सामाजिक सेवाएं	1,367 (25)	1,446(25)	1,824(46)	1,898(51)	1,540 (22)
12. ऋणों एवं अग्रिमों का वितरण	**627**	**522**	**776**	**843**	**13,250**
13. कुल (10+11+12)	**38,014**	**44,356**	**46,598**	**53,677**	**79,394**
14. लोक ऋण के पुनर्भुगतान	**4,037**	**5,951**	**7,968**	**8,227**	**7,215**
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट रहित)	3,812 (94)	5,825(98)	7,800(98)	8,073(98)	7,039 (98)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	225 (6)	126(2)	168(2)	154(2)	176 (2)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
15. आकस्मिक निधि के विनियोजन	-	-	-	-	-
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	**42,051**	**50,307**	**54,566**	**61,904**	**86,609**
17. आकस्मिक निधि संवितरण	**168**	-	-		**63**
18. लोक लेखे संवितरण	**17,051**	**21,074**	**24,560**	**25,609**	**28,650**
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	**59,270**	**71,381**	**79,126**	**87,513**	**1,15,322**
भाग ग- घाटा/आधिक्य					
20. राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)(1-10)	**(-) 1,457**	**(-)4,438**	**(-) 3,875**	**(-) 8,319**	**-11,679**
21. राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+)(4-13)	**(-) 7,153**	**(-)10,362**	**(-) 8,314**	**(-) 12,586**	**-31,479**
22. प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+) (21+23)	**(-) 3,152**	**(-)5,618**	**(-) 2,464**	**(-) 5,658**	**-23,195**
भाग- घ अन्य डाटा					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	**4,001**	**4,744**	**5,850**	**6,928**	**8,284**
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	**3,306**	**4,648**	**4,540**	**6,106**	**10,766**
25. अर्थोपाय अग्रिम (अ.अ.)/प्राप्त ओवर ड्राफ्ट (दिनों में)	**974(11)**	**347(12)**	**109 (4)**	-	**0**
26. अ.अ./ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज	**1.51**	**0.78**	**0.03**	-	**0**
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)[1]	**3,00,756**	**3,50,407**	**3,95,748**	**4,41,864**	**4,92,657**
28. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	**54,540**	**64,818**	**76,263**	**88,446**	**1,20,718**
29. ब्याज तथा गारंटी फीस सहित बकाया गारंटियां (वर्ष के अन्त में)	**5,608**	**21,124**	**27,309**	**30,389**	**16,886**
30. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	**8**	**14**	**40**	**14**	**18**
31. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध पूंजी (₹ करोड़ में)	**186**	**48**	**398**	**62.19**	**98.65**
भाग- ई राजकोषीय स्थिति सूचक					
I संसाधन संघटन					
स्वयं का कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.068	0.067	0.065	0.063	0.063
स्वयं का कर-भिन्न राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.016	0.013	0.013	0.010	0.010
केन्द्रीय अन्तरण/स.रा.घ.उ.	0.009	0.009	0.008	0.008	0.011
II व्यय प्रबन्ध					
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	0.126	0.127	0.118	0.121	0.161
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	1.244	1.319	1.226	1.316	1.669
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.842	0.858	0.899	0.915	0.746
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.368	0.360	0.370	0.392	0.291
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.337	0.352	0.313	0.272	0.297
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.141	0.130	0.084	0.069	0.087
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.135	0.124	0.078	0.064	0.081
III राजकोषीय असंतुलनों का प्रबन्ध					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	-0.005	-0.013	-0.010	-0.019	-0.024
राजकोषीय घाटा/स.रा.घ.उ.	-0.024	-0.030	-0.021	-0.028	-0.064
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	(-) 0.010	(-) 0.016	(-)0.006	(-) 0.013	(-) 0.047
राजस्व घाटा/वित्तीय घाटा	0.204	0.428	0.466	0.661	0.371
प्राथमिक राजस्व शेष/स.रा.घ.उ.	(-) 0.012	(-)0.018	(-) 0.017	(-) 0.025	(-) 0.033
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्ध					
राजकोषीय देयताएं/स.रा.घ.उ.	0.18	0.18	0.19	0.20	0.25
वित्तीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियां	1.785	1.927	2.006	2.168	2.538
V अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक					
निवेश पर रिटर्न	1.64	7.05	6.49	5.80	15.89
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	4977	3741	4406	1161	4510
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	0.78	0.75	0.74	0.68	0.67

[1] आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा द्वारा यथा संचारित वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. आंकड़े।

I. राज्य सरकार के वित्त	
वित्तीय घाटा, राजस्व घाटा तथा प्राथमिक घाटा	राजस्व घाटा, जो 2011-12 के दौरान शून्य तक नीचे लाया जाना तथा 2014-15 तक शून्य बनाए रखना अपेक्षित था, 2014-15 में ₹ 8,319 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 11,679 करोड़ हो गया। अन्य वित्तीय मानकों में प्रवृत्तियां अर्थात् राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटा जो 2014-15 में क्रमश: ₹ 12,586 करोड़ तथा ₹ 5,658 करोड़ था, 2015-16 में बढ़कर क्रमश: ₹ 31,479 करोड़ तथा ₹ 23,195 करोड़ हो गया।
राजस्व प्राप्तियां	2015-16 के दौरान राजस्व प्राप्तियां मुख्यत: कर राजस्व ₹ 3,294.52 करोड़ (11.92 प्रतिशत) में वृद्धि के कारण पिछले वर्ष से ₹ 6,757.89 करोड़ (16.56 प्रतिशत) तक बढ़ गई। 2015-16 के लिए कर-राजस्व चौ.वि.आ. द्वारा नियत लक्ष्यों के 18.71 प्रतिशत तक कम तथा कर-भिन्न राजस्व 15.16 प्रतिशत तक बढ़ गया। हरियाणा ग्रामीण विकास निधि के अंतर्गत एकत्रित ₹ 2,010.48 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां 2011-15 के दौरान राज्य की समेकित निधि में जमा नहीं की गई थी।
कर राजस्व तथा कर-भिन्न राजस्व	2011-16 के दौरान कर राजस्व ₹ 10,529.63 करोड़ (51.62 प्रतिशत) तक बढ़ गया। 2015-16 के दौरान भू-राजस्व में कमी को छोड़कर सभी प्रमुख करों एवं शुल्कों ने कर राजस्व में वृद्धि दर्ज की। 2011-16 के दौरान कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां ₹ 30.83 करोड़ (0.65 प्रतिशत) बढ़ गई। कर-भिन्न राजस्व (₹ 4,752.48 करोड़) ने गत वर्ष पर ₹ 139.36 करोड़ (3.02 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज करते हुए 2015-16 के दौरान राजस्व प्राप्ति का 9.99 प्रतिशत संघटित किया।
व्यय	वर्ष के दौरान कुल व्यय में से 75 प्रतिशत राजस्व व्यय था। इसका गै.यो.रा.व्य. घटक, ₹ 40,675 करोड़ था, जो म.अ.रा.नी.वि. के प्रक्षेपण (₹ 43,209 करोड़) से 5.86 प्रतिशत कम था जिसमें से 82 प्रतिशत व्यय चार घटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरियां, पैंशन देयताएं, ब्याज भुगतान और सबसीडियों पर किया गया। इसके अतिरिक्त, कुल सबसीडियों (₹ 6,899 करोड़) के 92 प्रतिशत (₹ 6,324 करोड़) केवल ऊर्जा क्षेत्र के लिए थे।
प्रतिबद्ध व्यय	वेतन, ब्याज एवं पेंशन भुगतानों पर कुल व्यय (₹ 28,722 करोड़), सरकार द्वारा म.अ.रा.नी.वि. (₹ 31,524.31 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से ₹ 2,802.31 करोड़ (8.89 प्रतिशत) कम था तथा राजस्व प्राप्तियों का 60 प्रतिशत उपयोग किया। चार घटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरी, ब्याज, पेंशन भुगतान तथा सबसिडी ने 2015-16 के दौरान गै.यो.रा.व्य. का लगभग 82 प्रतिशत संघटित किया।
निवेशों पर कम प्रतिलाभ	सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों तथा सहकारिताओं में सरकार के निवेशों पर औसत रिटर्न गत पांच वर्षों में 0.02 से 0.17 प्रतिशत के मध्य भिन्न-भिन्न था जबकि सरकार ने अपनी उधारों पर 8.64 से 9.86 प्रतिशत का औसत ब्याज भुगतान किया। 2015-16 के दौरान ₹ 1,902.21 करोड़ के कुल निवेशों में से ₹ 1,794.54 करोड़ विद्युत कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश किए गए थे।
कुल ऋणता	राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 2011-12 में ₹ 54,540 करोड़ से मुख्यत: लोक ऋण (₹ 60,313 करोड़) और लोक लेखा देयताओं (₹ 5,865 करोड़) में वृद्धि के कारण 121.34 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर 2015-16 में ₹ 1,20,718 करोड़ हो गई। स.रा.घ.उ. से राजकोषीय देयताओं के अनुपात ने वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाई और 2011-12 में 18.13 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 24.50 प्रतिशत हो गई। 2015-16 के अंत में ये देयताएं राजस्व प्राप्तियों का 2.54 गुणा और राज्य के अपने संसाधनों का 3.38 गुणा थी। वर्ष 2015-16 के दौरान राजकोषीय देयताओं पर ब्याज की अदायगी ₹ 8,284 करोड़ (6.86 प्रतिशत) थी। यह देखना महत्वपूर्ण है कि ₹ 1,20,718 करोड़ की राजकोषीय देयताएं वर्ष 2015-16 में म.अ.रा.नी.वि. में प्रोजेक्टिड ₹ 98,843 करोड़ की सीमा से अधिक थी।

II. वित्तीय प्रबन्धन और बजट नियंत्रण

अधिक व्यय विनियमित नहीं किया गया	2015-16 के दौरान, ₹ 1,11,559.26 करोड़ के कुल अनुदानों तथा विनियोजनों के विरूद्ध ₹ 95,480.50 करोड़ का व्यय किया गया था। ₹ 16,078.76 करोड़ की समग्र बचतें, विभिन्न अनुदानों में ₹ 17,493 करोड़ की बचत तथा चार अनुदानों के अंतर्गत ₹ 1,414.27 करोड़ के अधिक व्यय द्वारा आफसेट विनियोजन के कारण थी जिसे 2011-12 से 2014-15 की अवधि से संबंधित अनुदानों में ₹ 1,427.57 करोड़ के अधिक व्यय के अतिरिक्त भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत विनियमित किए जाने की आवश्यकता थी।
अनावश्यक/ अपर्याप्त पूरक प्रावधान	21 मामलों में प्राप्त कुल ₹ 2,752.83 करोड़ के पूरक प्रावधान, वर्ष के दौरान प्रत्येक मामले में आवेष्टित ₹ 50 लाख या इससे अधिक अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक नहीं आया।
प्रावधान के बिना व्यय	55 मामलों में मूल अनुदानों/पूरक मांगों में किसी प्रावधान के बगैर तथा इस संबंध में किसी पुनर्विनियोजन आदेशों के बिना ₹ 1,417.40 करोड़ का व्यय किया गया।
वापस सौंपी न गई/अधिक सौंपी गई निधियां	20 मामलों में ₹ 7,199.13 करोड़ की बचतों के विरूद्ध ₹ 1,302.40 करोड़ वापस नहीं सौंपे गए। 21 मामलों में ₹ 8,521.13 करोड़ की बचतों के विरूद्ध ₹ 8,840.80 करोड़ सौंपे गए थे तथा अनुदान 4-राजस्व (राजस्व दत्तमत) तथा 24-सिंचाई (पूंजीगत दत्तमत) में यद्यपि वास्तविक व्यय क्रमश: ₹ 1,199.25 करोड़ तथा ₹ 211 करोड़ तक अधिक थे, परंतु फिर भी ₹ 492.91 करोड़ तथा ₹ 166.18 करोड़ की निधियां अनुचित रूप से वापस सौंपी गई।

III. वित्तीय रिपोर्टिंग	
उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब	31 मार्च 2016 को ₹ 6,267.34 करोड़ की कुल राशि के 1,313 उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया थे। 906 उपयोगिता प्रमाण-पत्र (69 प्रतिशत) ग्रामीण विकास विभाग से बकाया थे। 696 उपयोगिता प्रमाण-पत्र (53 प्रतिशत) 2008-09 तथा 2013-14 की अवधि के दौरान जारी किए गए अनुदानों के लिए बकाया थे।
लेखाओं के अप्रस्तुतिकरण/ प्रस्तुतिकरण में विलम्ब	83 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों, जिन्हें ₹ 532.16 करोड़ के अनुदान जारी किए गए थे, के कुल 202 वार्षिक लेखे 31 जुलाई 2016 तक प्रतीक्षित हैं।
चोरी, हानियां, गबन, इत्यादि	चोरी, हानियों तथा गबन, इत्यादि के मामलों का निर्णय करने में असाधारण विलंब था जो एक तथा 25 वर्षों से अधिक के मध्य श्रृंखलित रहा।
बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 का परिचालन	2015-16 के दौरान कुल ₹ 14,778.53 करोड़ (कुल व्यय[2] का 22.34 प्रतिशत) का व्यय विभिन्न राजस्व तथा पूंजीगत मुख्य शीर्षों के अधीन लघु शीर्ष-800 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था। विद्युत सबसिडी, मध्यम सिंचाई, पर्यटन तथा विविध सामान्य सेवाओं पर कुल/महत्वपूर्ण व्यय वित्त लेखाओं में सपष्ट रूप से दर्शाने की बजाए बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 के अन्तर्गत वर्गीकृत था।

[2] ऋणों एवं अग्रिमों को छोड़कर।

2017 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 1
सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)

इस प्रतिवेदन में तीन निष्पादन लेखापरीक्षाएं अर्थात् (i) हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्यचालन; (ii) पंडित भगवत दयाल शर्मा स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रोहतक का कार्यचालन तथा (iii) बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा अधिक, निष्फल व्यय, परिहार्य भुगतान तथा नियमों एवं कार्यक्रमों इत्यादि के कार्यान्वयन में कमियों से संबंधित 20 अनुच्छेद शामिल हैं।

विशिष्टताएं

निष्पादन लेखापरीक्षा-हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्यचालन

- *अधिशेष निधियां सावधि जमाओं में रखने की बजाए बचत बैंक खातों में रखे गए थे परिणामतः ₹ 6 करोड़ के ब्याज की हानि हुई। ऋण पर ब्याज, गोदाम किराया, पानी एवं सीवरेज प्रभारों, दुकान/बूथ स्थलों/भूमि की लागत तथा वृद्धित भूमि क्षतिपूर्ति के कारण ₹ 126.44 करोड़ की राशि बकाया थी। 38 मार्केट कमेटियों में मूलभत संरचना सुविधाएं जैसे चारदीवारी, एंट्री प्वाइंट पर धर्मकांटा, चैकपोस्ट, कैंटीन तथा डोरमिटरी प्रदान नहीं की गई थी। अयोग्य लाइसेंसधारियों को आरक्षण मूल्य पर प्लॉट आबंटित किए गए थे परिणामतः ₹ 1.82 करोड़ की हानि हुई। दुकानों/बूथों पर बेसमेंट/ऊपर की मंजिल के अनियमित निर्माण के लिए ₹ 2.39 करोड़ की पेनल्टी नहीं लगाई गई। कृषीय नवीनता तथा अनुसंधान एवं विकास बढ़ाने के लक्ष्य वाली तीन स्कीमें कार्यान्वित नहीं की गई यद्यपि निधियां उपलब्ध थी।*

निष्पादन लेखापरीक्षा-पंडित भगवत दयाल शर्मा स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रोहतक का कार्यचालन

- *मास्टर योजना तथा वार्षिक योजनाएं तैयार नहीं की गई थी जिसकी अनुपस्थिति में लक्ष्य स्थापित नहीं किए गए थे तथा मूल्यांकन का आकलन नहीं किया जा सका। खरीद में देरी तथा अप्रचलित उपकरण से राज्य में चिकित्सा सेवाओं की प्रदानगी तथा शैक्षिक गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हुई। ₹ 56.59 करोड़ की लागत से निर्मित ट्रॉमा सेंटर, सभागार तथा जननी एवं शिशु देखभाल अस्पताल, चिकित्सा उपकरण तथा फर्नीचर के न खरीदने के कारण उपयोग में नहीं लाए जा सके। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा जलने से घाव की रोकथाम हेतु पायलट कार्यक्रम को धीमी गति से लागू करने से मरीजों को स्कीमों के लाभ पहुंचाने में देरी हुई।*

निष्पादन लेखापरीक्षा-बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

- नमूना-जांच किए गए स्कूलों में 6 से 14 वर्ष तक के आयु समूह के बच्चों की पहचान हेतु घरेलू सर्वेक्षण नहीं किया गया। अतः, बच्चों की संख्या की परिगणना, जोकि आवृत की जानी थी, केवल आंकलन पर आधारित थी। नमूना-जांच किए गए स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं जैसे कमरे, पीने का पानी, रसोई घर शैड, शौचालय, डैस्क, पुस्तकालय तथा खेल का मैदान प्रदान करने में कमियां थी। विद्यार्थियों को पाठ्य-पुस्तकें, वर्दी, लेखन सामग्री तथा बस्ते प्रदान करने में देरी थी। अधिनियम के उल्लंघन में 2011-16 के दौरान राज्य में 514 से 821 गैर-मान्यताप्राप्त स्कूल कार्यरत थे।

अनुपालन लेखापरीक्षा

- हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यचालन तथा पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण से संबंधित सांविधिक प्रावधानों के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा ने बोर्ड से स्थापना हेतु अनिवार्य सहमति तथा परिचालन के लिए सहमति प्राप्त किए बिना परियोजनाओं के परिचालन, परियोजना प्राधिकारियों द्वारा शर्तों, जिसमें परिवेशी वायु, परिवेशी शोर तथा भूमि जल के परीक्षण करने शामिल हैं, की अनुपालना न करने तथा पर्यावरणीय निर्धारणों की मॉनीटरिंग तथा प्रवर्तन की कमी के उदाहरण, जिसने पर्यावरणीय नियंत्रणों के लक्ष्य को दुर्बल बना दिया, प्रकट किए।

- खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन की समीक्षा ने प्रकट किया कि खाद्य एवं औषधि प्रबंध विभाग ने न तो खाद्य व्यापार संस्थाओं को पहचानने के लिए सर्वेक्षण किया और न ही खाद्य व्यापार

संस्थाओं का डाटाबेस अनुरक्षित किया। खाद्य प्रयोगशालाएं खाद्य नमूनों के परीक्षण के लिए आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित नहीं थी। अधिनियम के मुख्य प्रावधानों की अननुपालना स्वास्थ्य बाधाएं दर्शाती हैं क्योंकि खाद्य की गुणवत्ता आश्वासित नहीं की जाती।

- वृद्धित क्षतिपूर्ति के लिए प्रोसेसिंग तथा मामले को अनुसरित करने में भूमि अधिग्रहण कलैक्टर तथा पुलिस विभाग की ओर से अदेय विलंबों के परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में ₹ 4.81 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।
- औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करने में विफल रहा। फैकल्टी की कमी, व्यापारों के अपरिचालन और कौशल विकास की कमी के कारण खराब शैक्षिक उपलब्धि के मामले थे। इसके अतिरिक्त, एफिलिएशन के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए थे और सफलता प्रतिशतता कम थी।
- अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय की कमी के साथ-साथ नाजुक गतिविधियों की अपूर्णता का परिणाम न केवल एक लिफ्ट सिंचाई स्कीम चालू करने में अत्यधिक विलंब में हुआ बल्कि क्षेत्र के निवासियों को अभीष्ट लाभों से भी वंचित रखा। स्कीम पर किया गया ₹ 7.87 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।
- उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा निवेश प्रोत्साहक स्कीमों का कार्यान्वयन अयोग्य मदों के लिए ₹ 1.32 करोड़ का अनुदान, ₹ 26.23 करोड़ के ब्याजमुक्त ऋण की अवसूली और ₹ 14.76 लाख के सहायता अनुदान की अवसूली द्वारा चिन्हित है। विभाग ने दस वर्षों में केवल पांच औद्योगिक इकाइयों के लिए ब्याजमुक्त ऋण के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान की। इसके अतिरिक्त फूड प्रोसेसिंग प्रशिक्षण केंद्र और ठेकेदारी विकास कार्यक्रम के लक्ष्य ₹ 1.65 करोड़ का व्यय करने के बाद भी प्राप्त नहीं किए गए।
- स्थल का भौतिक स्वामित्व लेने में हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कार्मिक कल्याण बोर्ड की विफलता के कारण कुंडली और राई में कार्मिक सुविधा केंदों के निर्माण में विलंब और ₹ 10.44 करोड़ की निधियों के अवरोधन तथा ₹ 1.32 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।
- चार मेडिकल संस्थानों ने भारत सरकार द्वारा शैक्षिक संस्थान होने के कारण छूट दी गई सेवाओं पर सेवा कर के ₹ 6.59 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया।
- महाराजा अग्रसेन मेडिकल कालेज द्वारा एजेंसी के विश्वसनीयता और कार्य अनुभव सुनिश्चित किए बिना और शेष कार्य चूककर्ता एजेंसी के जोखिम और ब्याज पर करवाए बिना, जैसा कि अनुबंध में प्रावधान था, ₹ 8.57 करोड़ के मूल्य के निर्माण कार्यों के आबंटन के परिणामस्वरूप ₹ 2.06 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।
- माप पुस्तिका में प्रविष्टियों के साथ बिलों में मात्रा का सत्यापन किए बिना तथा आंतरिक नियंत्रण जांच के अभाव संबंद्ध अभिलेखों तथा बिटुमेन की दरों के समन्वय से बढ़ी हुई मात्राओं को अपनाने तथा बिटुमेन की दरों के अंतर की गलत परिगणना से परिणामतः दस एजेंसियों को ₹ 1.17 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।
- परियोजना के सभी घटकों के लिए भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 10.59 करोड़ का व्यय करने के बावजूद अपूर्ण कार्य तथा तालाब तथा ऐलनाबाद डिस्ट्रीब्यूटरी के उपचारित निस्सार के स्राव के कारण क्षेत्र में निवासियों का अस्वास्थ्यकारी दशाओं तथा स्वास्थ्य खतरों का सामना हुआ।
- जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा निर्धारित जांच बिंदुओं की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप लोहे की पाइपों की चोरी तथा चोरी की गई सामग्री के कारण ₹ 1.19 करोड़ की अवसूली हुई।
- हरियाणा राज्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परिषद् ने कोडल प्रावधानों तथा वित्तीय स्वामित्व के उल्लंघन में साईंस सिटी की स्थापना के लिए मौलिक आवश्यकताएं सुनिश्चित किए बिना ₹ 14.66 करोड़ आहरित किए। तथापि, परिषद द्वारा ₹ 10.37 करोड़ राशि के अर्जित ब्याज सरकारी खाते में अभी तक जमा नहीं करवाए गए।
- नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा विनियमों के अनुसार भूमि की कीमत में अनार्जित वृद्धि का निर्धारण किए बिना ही भूमि को पट्टे पर देने के परिणामस्वरूप ₹ 417.15 करोड़ जमा नहीं हुए। इसके अतिरिक्त, ₹ 8.07 करोड़ का वार्षिक ग्राऊंड किराया तथा ₹ 2.70 करोड़ का ब्याज वसूल किए बिना रहा।

- महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 'विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं हेतु गृह' स्कीम के कार्यान्वयन में कमियां थी जैसा कि भवनों की अच्छी तरह से मरम्मत न करना, कमरों का कम अधिभोग, विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं को आर्थिक तौर पर सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण तथा शिक्षा की कमी आदि से स्पष्ट है। कस्तूरबा सेवा सदन, फरीदाबाद में प्रवेश बंद कर दिया गया है तथा 18 जिलों में कोई नया गृह नहीं बनाया गया है। विभाग ने अप्रैल 2011 से मार्च 2016 के दौरान वेतन एवं भत्तों पर ₹ 6.50 करोड़ तथा विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता पर केवल ₹ 0.95 करोड़ खर्च किए। स्कीम का कम प्रचार था तथा सही निरंतरता में कमी थी।
- जन्म के समय लिंग अनुपात सुधारने, माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन को बढ़ाने तथा ड्राप-आउट लड़कियों के 100 प्रतिशत पुन: नामांकन के 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' के लक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं किए जा सके। इसके अतिरिक्त, प्री-कॉनसेपशन तथा प्री-नेटल डायगनोस्टिक टैकनीक एक्ट के कार्यान्वयन को मजबूत किए जाने की जरूरत थी।

निष्पादन लेखापरीक्षा

1. हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्यचालन

कृषि उत्पाद के क्रय, विक्रय, भंडारण तथा प्रोसेसिंग के बेहतर विनियमन हेतु सुविधाएं प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य के साथ हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना अगस्त 1969 में की गई। बोर्ड के कार्यचालन की 2011-16 की अवधि के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा ने परियोजनाओं एवं स्कीमों के वित्तीय प्रबंध एवं निष्पादन दोनों में दीर्घावधि आयोजना की कमी तथा त्रुटियां प्रकट की जिसने बोर्ड के समग्र लक्ष्यों का अवमूल्यांकन कर दिया। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम

अतिरिक्त निधियों को सावधि जमाओं में जमा न करना तथा देयों को विलंब से/न वसूल करना	अधिशेष निधियां सावधि जमाओं में रखने की बजाए बचत बैंक खातों में रखे गए थे परिणामत: ₹ 6 करोड़ के ब्याज की हानि हुई। ऋण पर ब्याज, गोदाम किराया, पानी एवं सीवरेज प्रभारों, दुकान/बूथ स्थलों/भूमि की लागत तथा वृद्धित भूमि क्षतिपूर्ति के कारण ₹ 126.44 करोड़ की राशि बकाया थी।
मंडियों में सुविधाओं की कमी	38 मार्केट कमेटियों में मूलभत संरचना सुविधाएं जैसे चारदीवारी, एंट्री प्वाइंट पर धर्मकांटा, चैकपोस्ट, कैंटीन तथा डोरमिटरी प्रदान नहीं की गई थी।
अपात्र लाइसेंसधारियों को प्लॉटों का आबंटन	अयोग्य लाइसेंसधारियों को आरक्षण मूल्य पर प्लॉट आबंटित किए गए थे परिणामत: ₹ 1.82 करोड़ की हानि हुई।
बेसमेंट तथा ऊपरी मंजिल का अनियमित निर्माण	दुकानों/बूथों पर बेसमेंट/ऊपर की मंजिल के अनियमित निर्माण के लिए ₹ 2.39 करोड़ की पेनल्टी नहीं लगाई गई।
स्कीमों को कार्यान्वयन न करना	कृषीय नवीनता तथा अनुसंधान एवं विकास बढ़ाने के लक्ष्य वाली तीन स्कीमें कार्यान्वित नहीं की गई यद्यपि निधियां उपलब्ध थी।

2 पंडित भगवत दयाल शर्मा स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रोहतक का कार्यचालन

पंडित भगवत दयाल शर्मा स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रोहतक राज्य का एक मुख्य चिकित्सा संस्थान है। संस्थान का मुख्य उद्देश्य उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा शिक्षा तथा

अनुसंधान प्रदान करना था। 2011-16 की अवधि के दौरान संस्थान की कार्यवाही पर निष्पादन लेखापरीक्षा द्वारा कमियां पाई गई जिसने इसकी राज्य में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं तथा चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के इसके संपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त करने की योग्यता को क्षीण कर दिया। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम

योजना की कमी	मास्टर योजना तथा वार्षिक योजनाएं तैयार नहीं की गई थी जिसकी अनुपस्थिति में लक्ष्य स्थापित नहीं किए गए थे तथा मूल्यांकन का आकलन नहीं किया जा सका।
अपर्याप्त मशीनरी तथा उपकरण	खरीद में देरी तथा अप्रचलित उपकरण से राज्य में चिकित्सा सेवाओं की प्रदानगी तथा शैक्षिक गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हुई।
उपलब्ध आधारभूत संरचना का उपभोग न करना	₹ 56.59 करोड़ की लागत से निर्मित ट्रॉमा सेंटर, सभागार तथा जननी एवं शिशु देखभाल अस्पताल, चिकित्सा उपकरण तथा फर्नीचर के न खरीदने के कारण उपयोग में नहीं लाए जा सके।
स्कीमों का धीमा कार्यान्वयन	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा जलने से घाव की रोकथाम हेतु पायलट कार्यक्रम को धीमी गति से लागू करने से मरीजों को स्कीमों के लाभ पहुंचाने में देरी हुई।

3 बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 में पारित किया गया था तथा अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। अधिनियम प्रावधान करता है कि प्रत्येक बच्चे को संतोषजनक तथा उचित गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। 2010-16 की अवधि के दौरान अधिनियम के लागू होने बारे निष्पादन लेखापरीक्षा द्वारा कमियां पाई गई जो कि अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति को कम करता है। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम नीचे उल्लिखित हैं:

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम

लक्ष्य समूहों की पहचान न करना	नमूना-जांच किए गए स्कूलों में 6 से 14 वर्ष तक के आयु समूह के बच्चों की पहचान हेतु घरेलू सर्वेक्षण नहीं किया गया। अतः, बच्चों की संख्या की परिगणना, जोकि आवृत की जानी थी, केवल आंकलन पर आधारित थी।

स्कूलों में आधारभूत संरचना की कमी	नमूना-जांच किए गए स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं जैसे कमरे, पीने का पानी, रसोई घर शैड, शौचालय, डैस्क, पुस्तकालय तथा खेल का मैदान प्रदान करने में कमियां थी।
सुविधाएं प्रदान करने में विलंब	विद्यार्थियों को पाठ्य-पुस्तकें, वर्दी, लेखन सामग्री तथा बस्ते प्रदान करने में देरी थी।
गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों को चलाना	अधिनियम के उल्लंघन में 2011-16 के दौरान राज्य में 514 से 821 गैर-मान्यताप्राप्त स्कूल कार्यरत थे।

अनुपालन लेखापरीक्षा

पर्यावरण विभाग (हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)	
पर्यावरण मंजूरी तथा मंजूरी के पश्चात् मॉनीटरिंग	हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यचालन तथा पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण से संबंधित सांविधिक प्रावधानों के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा ने बोर्ड से स्थापना हेतु अनिवार्य सहमति तथा परिचालन के लिए सहमति प्राप्त किए बिना परियोजनाओं के परिचालन, परियोजना प्राधिकारियों द्वारा शर्तों, जिसमें परिवेशी वायु, परिवेशी शोर तथा भूमि जल के परीक्षण करने शामिल हैं, की अनुपालना न करने तथा पर्यावरणीय निर्धारणों की मॉनीटरिंग तथा प्रवर्तन की कमी के उदाहरण, जिसने पर्यावरणीय नियंत्रणों के लक्ष्य को दुर्बल बना दिया, प्रकट किए।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग	
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन	खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन की समीक्षा ने प्रकट किया कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने न तो खाद्य व्यापार संस्थाओं को पहचानने के लिए सर्वेक्षण किया और न ही खाद्य व्यापार संस्थाओं का डाटाबेस अनुरक्षित किया। खाद्य प्रयोगशालाएं खाद्य नमूनों के परीक्षण के लिए आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित नहीं थी। अधिनियम के मुख्य प्रावधानों की अननुपालना स्वास्थ्य बाधाएं दर्शाती हैं क्योंकि खाद्य की गुणवत्ता आश्वासित नहीं की जाती।
गृह तथा न्याय प्रशासन, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग	
वृद्धित भूमि क्षतिपूर्ति जमा करवाने में विलंब के कारण ब्याज का परिहार्य भुगतान	वृद्धित क्षतिपूर्ति के लिए प्रोसेसिंग तथा मामले को अनुसरित करने में भूमि अधिग्रहण कलैक्टर तथा पुलिस विभाग की ओर से अदेय विलंबों के परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में ₹ 4.81 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग	

सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी के माध्यम से उन्नयन	औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करने में विफल रहा। फैकल्टी की कमी, व्यापारों के अपरिचालन और कौशल विकास की कमी के कारण खराब शैक्षिक उपलब्धि के मामले थे। इसके अतिरिक्त, एफिलिएशन के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए थे और सफलता प्रतिशतता कम थी।
सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग	
अपूर्ण सिंचाई स्कीम	अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय की कमी के साथ-साथ नाजुक गतिविधियों की अपूर्णता का परिणाम न केवल एक लिफ्ट सिंचाई स्कीम चालू करने में अत्यधिक विलंब में हुआ बल्कि क्षेत्र के निवासियों को अभीष्ट लाभों से भी वंचित रखा। स्कीम पर किया गया ₹ 7.87 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग	
निवेश प्रोत्साहक स्कीमें	उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा निवेश प्रोत्साहक स्कीमों का कार्यान्वयन अयोग्य मदों के लिए ₹ 1.32 करोड़ का अनुदान, ₹ 26.23 करोड़ के ब्याजमुक्त ऋण की अवसूली और ₹ 14.76 लाख के सहायता अनुदान की अवसूली द्वारा चिन्हित है। विभाग ने दस वर्षों में केवल पांच औद्योगिक इकाइयों के लिए ब्याजमुक्त ऋण के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान की। इसके अतिरिक्त फूड प्रोसेसिंग प्रशिक्षण केंद्र और ठेकेदारी विकास कार्यक्रम के लक्ष्य ₹ 1.65 करोड़ का व्यय करने के बाद भी प्राप्त नहीं किए गए।
श्रम विभाग	
कार्मिक सुविधा केंद्रों के निर्माण में विलंब	स्थल का भौतिक स्वामित्व लेने में हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कार्मिक कल्याण बोर्ड की विफलता के कारण कुंडली और राई में कार्मिक सुविधा केंदों के निर्माण में विलंब और ₹ 10.44 करोड़ की निधियों के अवरोधन तथा ₹ 1.32 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।
चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग	
सेवा कर का परिहार्य भुगतान	चार मेडिकल संस्थानों ने भारत सरकार द्वारा शैक्षिक संस्थान होने के कारण छूट दी गई सेवाओं पर सेवा कर के ₹ 6.59 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया।

निर्माण कार्यों के अविवेकपूर्ण आबंटन के कारण अतिरिक्त व्यय	महाराजा अग्रसेन मेडिकल कालेज द्वारा एजेंसी के विश्वसनीयता और कार्य अनुभव सुनिश्चित किए बिना और शेष कार्य चूककर्ता एजेंसी के जोखिम और ब्याज पर करवाए बिना, जैसा कि अनुबंध में प्रावधान था, ₹ 8.57 करोड़ के मूल्य के निर्माण कार्यों के आबंटन के परिणामस्वरूप ₹ 2.06 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।
लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क)	
एजेंसियों को अधिक भुगतान	माप पुस्तिका में प्रविष्टियों के साथ बिलों में मात्रा का सत्यापन किए बिना तथा आंतरिक नियंत्रण जांच के अभाव संबंद्ध अभिलेखों तथा बिटुमेन की दरों के समन्वय से बढ़ी हुई मात्राओं को अपनाने तथा बिटुमेन की दरों के अंतर की गलत परिगणना से परिणामत: दस एजेंसियों को ₹ 1.17 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।
जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	
अपूर्ण सीवरेज स्कीम	परियोजना के सभी घटकों के लिए भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 10.59 करोड़ का व्यय करने के बावजूद अपूर्ण कार्य तथा तालाब तथा ऐलनाबाद डिस्ट्रीब्यूटरी के उपचारित निस्सार के स्राव के कारण क्षेत्र में निवासियों का अस्वास्थ्यकारी दशाओं तथा स्वास्थ्य खतरों का सामना हुआ।
निष्फल व्यय	जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा निर्धारित जांच बिंदुओं की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप लोहे की पाइपों की चोरी तथा चोरी की गई सामग्री के कारण ₹ 1.19 करोड़ की अवसूली हुई।
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग	
सरकारी खाते में ब्याज राशि का जमा न होना	हरियाणा राज्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परिषद् ने कोडल प्रावधानों तथा वित्तीय स्वामित्व के उल्लंघन में साईंस सिटी की स्थापना के लिए मौलिक आवश्यकताएं सुनिश्चित किए बिना ₹ 14.66 करोड़ आहरित किए। तथापि, परिषद द्वारा ₹ 10.37 करोड़ राशि के अर्जित ब्याज सरकारी खाते में अभी तक जमा नहीं करवाए गए।
नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)	
भूमि की कीमत में अनार्जित वृद्धि तथा वार्षिक ग्राउंड किराए की अवसूली	नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा विनियमों के अनुसार भूमि की कीमत में अनार्जित वृद्धि का निर्धारण किए बिना ही भूमि को पट्टे पर देने के परिणामस्वरूप ₹ 417.15 करोड़ जमा नहीं हुए। इसके अतिरिक्त, ₹ 8.07 करोड़ का वार्षिक ग्राऊंड किराया तथा ₹ 2.70 करोड़ का ब्याज वसूल किए बिना रहा।

महिला एवं बाल विकास विभाग	
निराश्रय महिलाओं तथा बच्चों के लिए आश्रय/केन्द्र	महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 'विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं हेतु गृह' स्कीम के कार्यान्वयन में कमियां थी जैसा कि भवनों की अच्छी तरह से मरम्मत न करना, कमरों का कम अधिभोग, विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं को आर्थिक तौर पर सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण तथा शिक्षा की कमी आदि से स्पष्ट है। कस्तूरबा सेवा सदन, फरीदाबाद में प्रवेश बंद कर दिया गया है तथा 18 जिलों में कोई नया गृह नहीं बनाया गया है। विभाग ने अप्रैल 2011 से मार्च 2016 के दौरान वेतन एवं भत्तों पर ₹ 6.50 करोड़ तथा विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता पर केवल ₹ 0.95 करोड़ खर्च किए। स्कीम का कम प्रचार था तथा सही निरंतरता में कमी थी।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम	जन्म के समय लिंग अनुपात सुधारने, माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन को बढ़ाने तथा ड्राप-आउट लड़कियों के 100 प्रतिशत पुन: नामांकन के 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' के लक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं किए जा सके। इसके अतिरिक्त, प्री-कॉनसेपशन तथा प्री-नेटल डायगनोस्टिक टैकनीक एक्ट के कार्यान्वयन को मजबूत किए जाने की जरूरत थी।

2016 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 5 राजस्व सेक्टर

इस प्रतिवेदन में ₹ 721.81 करोड़ के कर प्रभाव से आवेष्टित **'राज्य उत्पाद शुल्क से प्राप्तियां'** पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 24 अनुच्छेद शामिल हैं। विभागों/सरकार ने ₹ 327.08 करोड़ से आवेष्टित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की जिनमें से ₹ 11.82 करोड़ वसूल किए गए हैं।

विशिष्टताएं

- **पंजाब भू-राजस्व अधिनियम/राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 के अंतर्गत भू-राजस्व के बकायों के रूप में राज्य को देय विभिन्न करों के बकायों के संग्रहण की प्रणाली की विषयक लेखापरीक्षा ने बकायों के अप्रभावी अनुसरण तथा सांविधिक प्रावधानों के खराब प्रवर्तन के साथ संबद्ध अभिलेखों का अननुरक्षण प्रकट किया जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2012 तथा मार्च 2015 के मध्य कुल बकाया 112 प्रतिशत बढ़कर ₹ 8,076.66 करोड़ हो गए। ₹ 382.88 करोड़ के बकाया, पंजाब भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत वसूलनीय घोषित नहीं किए गए जबकि ₹ 207.26 करोड़ के बकाया, कुर्क संपत्ति का निपटान न करने के कारण वसूल नहीं किए जा सके। आगे, ₹ 166.56 करोड़ के बकाया अनुवर्ती कार्रवाई की कमी के कारण वसूल नहीं किए जा सके। ₹ 26.44 करोड़ का ब्याज उद्गृहीत नहीं किया गया।**
- **विक्रेता डीलर द्वारा किए गए कर के भुगतान का सत्यापन किए बिना कर-निर्धारण प्राधिकारी ने गलती से ₹ 96.39 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ अनुमत कर दिया। इसके अतिरिक्त ₹ 2.89 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राहय है।**
- **कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने वैट के अंतर्गत ₹ 38.16 करोड़ के कर के पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज उद्गृहीत नहीं किया परिणामस्वरूप 61 मामलों में ₹ 1.91 करोड़ के सरचार्ज का अनुद्ग्रहण हुआ।**
- **कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 4.53 करोड़ की सही राशि की बजाए ₹ 2.74 करोड़ का कर उद्गृहीत किया परिणामस्वरूप परिगणना त्रुटि के कारण ₹ 1.79 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।**
- **सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरणों का अनुपालन न करने तथा कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 2.49 करोड़ के कर तथा ₹ 88.58 लाख के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ।**
- **खसरा, जिन पर आवासीय कालोनियों को विकसित करने के लिए भूमि प्रयोग परिवर्तन लाइसेंस जारी किए गए थे, पर लागू दरों की बजाय कृषीय भूमि के लिए सामान्य खसरा दरों पर विक्रय के लिए 92 विलेख पंजीकरण किए गए फलस्वरूप ₹ 34.84 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ। आगे, 57 विलेख पार्टियों के मध्य अनुबंध से कम प्रतिफल पर निष्पादित एवं पंजीकृत किए गए थे परिणामस्वरूप ₹ 85.10 लाख के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।**
- **14 मामलों में संयुक्त करारों के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 2.46 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।**

- **पंजीकरण प्राधिकारियों ने प्राइम खसरा भूमि का गलत ढंग से कृषीय भूमि पर नियत दर से निर्धारण किया परिणामस्वरूप ₹ 1.55 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।**
- **वैधता की समाप्ति के पश्चात् भी मालिकों द्वारा 2,46,948 परिवहन वाहनों तथा 1,63,456 गैर-परिवहन वाहनों के फिटनेस/पंजीकरण प्रमाण-पत्रों का नवीकरण न करने के परिणामस्वरूप ₹ 12.78 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।**

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2015-16 के लिए हरियाणा सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां 2014-15 के दौरान ₹ 40,798.66 करोड़ के विरूद्ध ₹ 47,556.55 करोड़ थी। वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य सरकार द्वारा इसके अपने स्रोतों से उगाहा गया कर राजस्व ₹ 30,929.09 करोड़ एवं कर-भिन्न राजस्व ₹ 4,752.48 करोड़ से समायुक्त ₹ 35,681.57 करोड़ था जो कि गत वर्ष में क्रमश: ₹ 27,634.57 करोड़ तथा ₹ 4,613.12 करोड़ था।

₹ 21,060.23 करोड़ की बिक्री कर प्राप्तियां तथा ₹ 1,254.55 करोड़ की सड़क परिवहन प्राप्तियां का योगदान कर तथा कर-भिन्न राजस्व की क्रमश: 68 प्रतिशत तथा 26 प्रतिशत थी।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

₹ 5,802.87 करोड़ के धन मूल्य वाली 5,389 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से समाविष्ट निरीक्षण प्रतिवेदन (दिसम्बर 2015 तक जारी किए गए) विभागों से अन्तिम उत्तर की प्रतीक्षा में जून 2016 के अन्त तक बकाया थे।

लेखापरीक्षा के परिणाम

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, मोटर वाहन, माल एवं यात्री तथा अन्य विभागीय कार्यालयों की 315 (राजस्व 307 + व्यय 8) इकाइयों के अभिलेखों की वर्ष 2015-16 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 48,193 मामलों में ₹ 2,864.64 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/हानि प्रकट की।

प्रणाली मूल्यांकन/निष्पादन लेखापरीक्षा

आबकारी एवं कराधान विभाग

- **राज्य उत्पाद शुल्क से प्राप्तियां**

20 लाईसेंसधारियों से प्रतिभूति और अतिक्ति प्रतिभूति वसूल करने हेतु कार्यवाही के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 28 लाख जमा नहीं/कम जमा हुए।

लाईसेंस फीस के भुगतान में विलंब हेतु ब्याज के उद्ग्रहण के लिए प्रावधान करने वाले नियमों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप खुदरा दुकानों के चूककर्ता लाईसेंसधारियों से ₹ 44.80 करोड़ की लाईसेंस फीस और ब्याज की कम वसूली हुई।

मूल आबंटी की चूक के कारण खुदरा दुकानों के पुर्नावंटन से उत्पन्न अंतरीय लाईसेंस फीस वसूल करने में विफलता के साथ-साथ दुकानों की पुन:नीलामी में विफलता के कारण ₹ 5.19 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

विभाग त्रैमासिक आधारभूत कोटा कम/अधिक उठाने के कारण 466 चूककर्ता लाईसेंसधारियों से ₹ 7.09 करोड़ की पेनल्टी उद्ग्रहण और वसूल करने में विफल रहा।

शराब के गैर-कानूनी स्वामित्व और व्यापार के कारण 322 अपराधियों से ₹ 1.83 करोड़ की पेनल्टी का उद्ग्रहण और वसूल करने में विभाग विफल रहा।

विभाग ने डिस्टिलरीज के प्रबंधन से नियुक्त आबकारी स्थापना के वेतन के कारण ₹ 1.65 करोड़ वसूल नहीं किए।

अनुच्छेदों के रूप में शामिल महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा उपलब्धियां

कर प्राप्तियां

- **बिक्री कर/वैट (आबकारी एवं कराधान विभाग)**

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने डीलर, जिसने एक डवेल्पर को सामग्री बेची थी, को विशेष आर्थिक जोन बिक्री के विचार से ₹ 2.76 करोड़ की कटौती अनुमत कर दी परिणामत: ₹ 36.26 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 30.46 लाख का ब्याज भी उद्ग्राहय था।

₹ 3.91 करोड़ मूल्य के ड्यूटी एवं एनटाइटलमेंट पासबुक (डी.ई.पी.बी.)/आयात लाइसेंस का क्रय, जो पुन: बिक्री के लिए प्रयुक्त किए जाने होते हैं, भुगतान योग्य कस्टम ड्यूटी के विरूद्ध गलत ढंग से समायोजित करने हेतु अनुमत कर दिए गए परिणामत: डीलर को ₹ 20.55 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत अनुमति हुई।

- **स्टाम्प शुल्क (राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग)**

पंजीकरण प्राधिकारियों ने बिक्री पर हस्तांतरण का निर्मुक्त विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण किया और कलैक्टर दर के अनुसार ₹ 87.16 लाख की बजाय ₹ 1,850 के स्टाम्प शुल्क का उद्ग्रहण किया परिणामस्वरूप ₹ 87.14 लाख के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

परिवहन विभाग

- **वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर {आबकारी एवं कराधान विभाग (यात्री एवं माल कर)}**

माल ढोने के लिए प्रयुक्त 647 सार्वजनिक अथवा निजी वाहनों के मालिकों ने अप्रैल 2013 तथा मार्च 2015 के मध्य विभिन्न अवधियों के लिए माल कर जमा नहीं करवाया, परिणामस्वरूप ₹ 41.45 लाख के माल कर की अवसूली/कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 19.36 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

247 टैक्सी कार/मैक्सी कैब, 100 शैक्षिक संस्थान बसों तथा 35 परिवहन सहकारी सोसाइटी बसों के वाहन मालिकों ने या तो यात्री कर जमा नहीं करवाया या कम जमा करवाया, परिणामस्वरूप ₹ 51.76 लाख के यात्री कर की अवसूली/कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 21.93 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

खदान एवं भू-विज्ञान विभाग

चार जिलों के संबंध में 31 ईट भट्ठा मालिकों से ₹ 11.72 लाख की राशि की रायल्टी तथा ब्याज की वसूली नहीं की गई थी जिन्हें अप्रैल 2013 तथा मार्च 2016 के मध्य परमिट जारी किए गए थे।

2016 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 6 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र)

इस प्रतिवेदन में परिहार्य व्यय, ब्याज की हानि तथा वित्तीय हितों को सुरक्षित न करने से संबंधित ₹ 3,755.23 करोड़ के वित्तीय इंप्लीकेशनस से आवेष्टित उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में 'राजस्व के टैरिफ, बिलिंग तथा संग्रहण' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 14 अनुच्छेद शामिल हैं। कुछ मुख्य परिणाम नीचे उल्लिखित हैं:

1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बारे में

हरियाणा राज्य में 23 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.) (21 कंपनियां तथा दो सांविधिक निगम) और छः अकार्यरत कंपनियां थी जिनमें 29,246 कर्मचारी नियुक्त थे। 31 मार्च 2016 को 29 सा.क्षे.उ. में निवेश (पूंजीगत एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 41,068.02 करोड़ था। राज्य सा.क्षे.उ. के कुल निवेश का 99.93 प्रतिशत कार्यरत सा.क्षे.उ. में था तथा शेष 0.07 प्रतिशत अकार्यरत सा.क्षे.उ. में था। कुल निवेश में पूंजीगत का 25.22 प्रतिशत तथा दीर्घ अवधि ऋणों का 74.78 प्रतिशत शामिल था। विद्युत क्षेत्र ने कुल निवेश का 91.22 प्रतिशत तक परिगणित किया। राज्य सरकार ने 2015-16 के दौरान 15 सा.क्षे.उ. में इक्विटी, ऋणों एवं अनुदानों/परिदानों के लिए ₹ 8,383.81 करोड़ का अंशदान दिया।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निष्पादन

23 कार्यरत सा.क्षे.उ. में से, 17 सा.क्षे.उ. ने सितंबर 2016 तक अपने 21 लेखे प्रस्तुत किए। इनमें से 14 लेखाओं ने ₹ 306.69 करोड़ का लाभ दर्शाया तथा सात लेखाओं ने ₹ 2,125.53 करोड़ की हानि दर्शाई। आगे, राज्य सरकार की लाभांश नीति के अनुसार सभी सा.क्षे.उ. ने राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई दत्त शेयर-पूंजी पर कम से कम चार प्रतिशत वापसी अदा करनी है। लाभ अर्जित करने वाले सा.क्षे.उ. में से केवल तीन सा.क्षे.उ. ने ₹ 5.64 करोड़ का लाभांश घोषित किया।

लेखाओं के अंतिमकरण में बकाया

30 सितंबर 2016 को 22 कार्यरत सा.क्षे.उ. के 39 लेखे बकाया थे। लेखाओं के अंतिमकरण तथा उनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि किए गए निवेश और व्यय उचित रूप से परिगणित किए गए हैं तथा वह प्रयोजन जिसके लिए राशि निवेश की गई थी, प्राप्त किया गया है अथवा नहीं तथा इस प्रकार, ऐसे सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश राज्य विधान सभा के नियंत्रण से बाहर रहता है।

2 सरकारी कंपनियों की निष्पादन लेखापरीक्षा

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में 'राजस्व की टैरिफ, बिलिंग और संग्रहण' की निष्पादन लेखापरीक्षा ने सेवा प्रभारों एवं किराए की कम वसूली, परिहार्य ब्याज हानि तथा विद्युत की अधिक आपूर्ति प्रकट की जिसने कंपनी की वित्तीय स्थिति को बुरी तरह प्रभावित किया। लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

बिजली कनैक्शन देते समय की गई लागत वसूल करने के लिए कंपनी उपभोक्ताओं से सेवा

कनैक्शन प्रभार वसूल करती है। जनवरी 2001 के बाद दरों में संशोधन न होने के परिणामस्वरूप 2011-12 से 2014-15 की अवधि के दौरान उपभोक्ताओं से ₹ 124.24 करोड़ की कम वसूली हुई।

हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) ने ₹ 254.42 करोड़ के संचित आर.एज में से ₹ 114.49 करोड़ की विनियामक परिसंपत्तियों (आर.एज) की वसूली, 2013-14 के लिए टैरिफ के एक हिस्से के रूप में अनुमत कर दी। 2014-17 के लिए बहुवर्षीय टैरिफ (एम.वाई.टी.) गठन के अंतर्गत वार्षिक राजस्व आवश्यकताएं (ए.आर.आर.) फाईल करते समय कंपनी ने एच.ई.आर.सी. के साथ शेष ₹ 139.93 करोड़ के आर.एज. की वसूली का मामला नहीं उठाया था।

कंपनी ने कृषि पंपसेट उपभोक्ताओं को 2011-15 के दौरान एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित 15,233.50 एम.यूज के विरूद्ध 15,952.82 एम.यूज की विद्युत आपूरित की परिणामस्वरूप बिजली के 719.32 एम.यूज की अधिक आपूर्ति के कारण ₹ 425.97 करोड़ की सबसिडी की कम प्राप्ति हुई।

ईंधन सरचार्ज समायोजनों के दावे फाईल करने में देरी के कारण कंपनी को ₹ 137.86 करोड़ का संधारण लागत वहन करना पड़ा था।

अग्रिम खपत जमा के असंशोधन के कारण कंपनी को ₹ 30.60 करोड़ के ब्याज की हानि उठानी पड़ी थी।

मीटर किराए के कम प्रभारण, उपभोक्ताओं को प्रथम बिल जारी करने में देरी और बिलिंग की अवधि का अनुपालन न करने के कारण ₹ 12.73 करोड़ की हानि हुई। लोड के अनधिकृत प्रयोग में वृद्धि और खराब/क्षतिग्रस्त मीटरों और इलैक्ट्रो-मैकेनिकल मीटरों को स्टैटिक मीटरों के साथ बदलने में देरी के कारण राजस्व की हानि संभवत: अधिक थी।

एच.ई.आर.सी. के निर्धारित मानकों के अनुसार संचारण और वितरण हानियों को रोकने में इसकी विफलता के कारण कंपनी को ₹ 1,729.75 करोड़ की हानि भी उठानी पड़ी थी।

3 लेन-देन की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

प्रतिवेदन में शामिल लेन-देनों की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां राज्य सरकार की कंपनियों तथा सांविधिक निगमों के प्रबंधन में हुई त्रुटियों को रेखांकित करती हैं, जिनमें गंभीर वित्तीय इंपलीकेशनस थी। महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

- अनुबंध को हस्ताक्षर करने से पहले क्रय आदेशों को जारी करने के साथ-साथ बिड-सिक्योरिटी की वैधता से संबंधित एन.आई.टी. की शर्तों को लागू करने में समयोचित कार्रवाई की कमी के परिणामस्वरूप निम्नतम बोलीकर्त्ता घोषित होने के बाद फर्म अनुबंध से पीछे हट गई। कंपनी द्वारा अभी ₹ 48 लाख की बिड-सिक्योरिटी वसूल की जानी है।

- ठेकेदार की चूक पर बैंक गारंटी को पूरी तरह भुनाने की कंपनी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 36.36 लाख की अवसूली हुई।

- कंपनी ने बोली मूल्यांकन प्रक्रिया की गोपनीयता का उल्लंघन किया तथा कार्य की पुन:निविदा के कारण उसे ₹ 2.02 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

- कंपनी ने वास्तविक खपत पर विचार किए बिना ही केबल की खरीद की जिसके कारण ₹ 7.70 करोड़ की निधियाँ अवरूद्ध हुई तथा उन पर ₹ 1.68 करोड़ का परिहार्य ब्याज हुआ।

- कार्य की वास्तविक प्रगति सुनिश्चित किए बिना भुगतान की निर्मुक्ति के परिणामस्वरूप ₹ 1.04 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

- कंपनी द्वारा निष्पादन बैंक गारंटी को भुनाए न जाने के कारण ₹ 1.17 करोड़ के अतिरिक्त उधार ली गई निधियों पर ब्याज के कारण ₹ 0.60 करोड़ की हानि उठाई गई। ₹ 1.95 करोड़ मूल्य के क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर लंबी अवधियों के लिए अप्रयुक्त रहे।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

- बिजली अधिनियम, 2003 तथा एच.ई.आर.सी. विनियम 2014 के प्रावधानों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप ₹ 84.14 लाख की अवसूली हुई।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

- आर-ए.पी.डी.आर.पी. के कार्यान्वयन ने देरी के साथ-साथ निष्फल व्यय भी वहन किया। शहरों को गो-लाईव घोषित कर दिया गया यद्यपि उन्होंने 'गो-लाईव' घोषित किए जाने के लिए मापदंड को पूरा नहीं किया। सलाहकारों पर किया गया ₹ 6.89 करोड़ का व्यय निष्फल साबित हुआ क्योंकि उनके द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अप्रयुक्त रही। संशोधित टैरिफ शामिल करने के लिए सॉफ्टवेयर की अपडेटिंग में देरी के परिणामस्वरूप ₹ 299.96 करोड़ की वसूली हुई।

- ट्रांसफार्मर मरम्मत कार्यशालाएं कार्यकुशलता में निम्न-स्तर की थी जिसके कारण बिना मरम्मत किए वितरण ट्रांसफार्मरों का संचय हुआ जिसने वितरण नेटवर्कस के रख-रखाव को प्रभावित किया। क्षतिग्रस्त वितरण ट्रांसफार्मज में मरम्मत किए वितरण ट्रांसफार्मज की प्रतिशतता, 2015-16 तक, तीन वर्षों की अवधि के दौरान कम होकर यू.एच.बी.वी.एन.एल. में 57 प्रतिशत से 31 प्रतिशत तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल. में 70 प्रतिशत से 22 प्रतिशत तक रह गई। यह मरम्मत के लिए निविदा के अंतिमकरण में देरी तथा फर्मों को अपेक्षित कच्चा माल तथा स्थान प्रदान करने में कंपनियों की विफलता के कारण था।

हरियाणा मास रैपिड परिवहन निगम लिमिटेड

- हुडा ने परियोजना की लागत तथा इसकी संभावित देयताओं की सीमा पर पूर्ण नजर रखे बिना ही, रियायत ग्राही की चूक तथा अनुबंध की समाप्ति के समय रियायत ग्राही की देयताओं के 80 प्रतिशत को अपनाते हुए एक रियायत अनुबंध किया। हुडा तथा इसकी उत्तराधिकारी एच.एम.आर.टी.सी. रियायत अनुबंध की शर्तों को लागू करने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप रियायत ग्राही द्वारा ₹ 11.84 करोड़ राशि के अधिक यात्रा किराया के प्रभारण तथा कनैक्टिविटी चार्जिज के विलंबित भुगतान के लिए ₹ 1.57 करोड़ के ब्याज की अवसूली हुई।

हरियाणा वित्तीय निगम

- निगम ने 'वन टाइम सैटलमेंट स्कीम' के मार्गनिर्देशों की उल्लंघना के कारण 15 लेखाओं में ₹ 10.43 करोड़ की हानि उठाई। निगम, प्रतिभूति की अनुपलब्धता अथवा प्रतिभूति के दोषपूर्ण स्वामित्व के कारण ₹ 38.29 करोड़ के लंबित देयों को वसूल नहीं कर सका और इस राशि को बट्टे खाते में डालना पड़ा।

हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड

- कंपनी न तो इसके द्वारा नियत लाभ लक्ष्य प्राप्त कर सकी न ही काटी गई लकड़ी और वन उत्पादन से अपेक्षित लाभ सुनिश्चित कर सकी। गोल लकड़ी की वसूली के लिए नियत न्यूनतम 50 प्रतिशत के मानदंड की तुलना में कम वसूली और अनुपयुक्त भूमि पर पौधारोपण परियोजना के संबंध में दोषपूर्ण योजना के कारण कंपनी ने ₹ 3.27 करोड़ की हानि भी उठाई।

हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड

- भारतीय खाद्य निगम को प्रत्यक्ष रूप से गेहूं की आपूर्ति के अनुदेशों की अनुपालना करने की विफलता के परिणामस्वरूप कंपनी को ₹ 2.29 करोड़ के ढुलाई प्रभार वहन करने पड़े।

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा, चण्डीगढ़ में अधिकारी, जिनसे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विस्तृत सूचना हेतु सम्पर्क किया जा सकता है

प्रतिवेदन	अधिकारियों के नाम व पदनाम	दूरभाष संख्या
1. राज्य के वित्त, सामाजिक, सामान्य, आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र	श्रीमती महुआ पाल, आई.ए. एण्ड ए.एस. प्रधान महालेखाकार	0172 – 2660704
2. सामाजिक एवं सामान्य क्षेत्र (गैर–सा.क्षे.उ.)	श्री कुमार अभय, आई.ए. एण्ड ए.एस. वरिष्ठ उप–महालेखाकार	0172 – 2660851
3. राजस्व क्षेत्र		
4. आर्थिक क्षेत्र (गैर–सा.क्षे.उ.)	श्री पद्माकर कुशवाहा, आई.ए. एण्ड ए.एस. उप–महालेखाकार	0172 – 2612737
5. राज्य के वित्त,		
6. आर्थिक क्षेत्र (सा.क्षे.उ.)		

© भारत के
नियंत्रक – महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.aghry.nic.in